

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25-9-2012

का.आ. _____ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) संशोधन नियम, 2012 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में, पांचवी अनुसूची के पैरा 2 में, परंतुक से पूर्व विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण के समूह ‘क’ अधिकारियों (स्वयं भारसाधक वैज्ञानिक के सिवाय), समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ कर्मचारिवृद्ध की बाबत निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नियम 12 के उप नियम (2) के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात् :-

भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण :

- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), दक्षिणी क्षेत्रीय सर्किल, कोयंबटूर ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), केन्द्रीय क्षेत्रीय सर्किल, इलाहाबाद ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), सिक्किम हिमालयी क्षेत्रीय सर्किल, गंगटोक ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय सर्किल, पोर्ट ब्लेयर।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का) पश्चिमी क्षेत्रीय सर्किल, पूना ।
- भारसाधक वैज्ञानिक (‘घ’ और उससे ऊपर के स्तर का), शुष्क जोन क्षेत्रीय सर्किल, जोधपुर ।

9. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय सर्किल, इटानगर ।
10. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), डेक्कन क्षेत्रीय सर्किल, हैदराबाद ।
11. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), भारतीय गणतंत्र वनस्पति उद्यान, नांएडा ।
12. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), आचार्य जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वनस्पति उद्यान, हावड़ा ।
13. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), केन्द्रीय राष्ट्रीय उद्भिजालय, हावड़ा ।
14. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), केन्द्रीय वनस्पति प्रयोगशाला, हावड़ा ।
15. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), औद्योगिक प्रभाग, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता ।
16. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), मुख्यालय कोलकाता ।

भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण :

1. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), उत्तरी क्षेत्रीय स्टेशन, देहरादून ।
2. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन, मद्रास ।
3. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), पूर्वी क्षेत्रीय स्टेशन, शिलांग ।
4. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), गंगभूमि क्षेत्रीय स्टेशन, पटना ।
5. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), पश्चिमी क्षेत्रीय स्टेशन, पूना ।
6. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का); मरुस्थल क्षेत्रीय स्टेशन, जोधपुर ।
7. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), केन्द्रीय क्षेत्रीय स्टेशन, जबलपुर ।
8. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), समुद्री जैव स्टेशन, मद्रास ।
9. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), उच्च उन्नतांश क्षेत्र स्टेशन, सोलन ।
10. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर ।
11. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), असमुद्री जल जैव क्षेत्रीय स्टेशन, हैदराबाद ।

12. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), पश्चिमी घाट क्षेत्र अनुसंधान स्टेशन, कोझीकोड ।
13. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), मुहाना जैव स्टेशन, बेरहामपुर ।
14. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केन्द्र, इटानगर ।
15. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), समुद्री मत्स्यालय-सह-क्षेत्रीय केन्द्र, दिघा ।
16. भारसाधक वैज्ञानिक ('घ' और उससे ऊपर के स्तर का), सुंदरबन क्षेत्रीय केन्द्र, कर्निग ।

{सं.13/1/2010- पीएडपीडब्ल्यू (एफ) ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक (पीपी)

पाद टिप्पण :-

साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का.आ.सं.3000 तारीख 1.12.1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियमों का चतुर्थ पुनः मुद्रण (29.2.1988 तक सही किया गया) तब से द्विभाषा प्ररूप में प्रकाशित किया जा चुका है । तत्पश्चात् नियम नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

1.	का.आ.सं. 2002	तारीख 2.9.1989
2.	का.आ.सं. 710	तारीख 4.3.1990
3.	का.आ.सं. 3006	तारीख 17.11.1990
4.	का.आ.सं. 3272	तारीख 8.12.1990
5.	का.आ.सं. 146	तारीख 20.3.1993
6.	का.आ.सं. 377	तारीख 10.2.1996
7.	का.आ.सं. 379	तारीख 10.2.1996
8.	का.आ.सं. 3228	तारीख 23.11.1996
9.	का.आ.सं. 826	तारीख 25.4.1998
10.	का.आ.सं. 2500	तारीख 5.12.1998
11.	का.आ.सं. 2690	तारीख 16.9.2003
12.	का.आ.सं. 1485(अ)	तारीख 30.12.2003
13.	का.आ.सं. 3682	तारीख 15.10.2005
14.	का.आ.सं. 1529	तारीख 6.6.2009
15.	का.आ.सं. 2689	तारीख 03.10.2010